न्यायालय सहायक कलेक्टर बागोडा (जिला–जालोर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हमणीबानु पुत्री मदैखां जाति मुसलमान निवासी कोरी ध्वेचा तहसील बागोड़ा जिला–जालोर।		1. हासमखां पुत्र साकरखां जाति मुसलमान निवासी कोरी ध्वेचा 2. सफीबानो पुत्री साकरखां पत्नी फारूखखां जाति मुसलमान निवासी कोरी ध्वेचा हाल निवासी वेडिया तहसील चितलवाना 3. नैमोबानु पुत्री साकरखां पत्नी सतैखां जाति मुसलमान निवासी कोरी ध्वेचा हाल छाजाला 4. हुसैन पुत्र हका 5. इमती पुत्री इनायत 6. कमी पुत्री इनायत 7. दली पुत्री इनायत 8. बतु पुत्री इनायत 9. सेमा पुत्री इनायत 10.बफूर उर्फ गफूर पुत्र इनायत 11.लतीब पुत्र इनायत 12.सफी पुत्र इनायत 13.मीमो पत्नी स्व. इनायत जातियान मुसलमान निवासीगण कोरी ध्वेचा तहसील बागोड़ा 14.भूमिधारी तहसीलदार बागोडा 15.शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जालोर तहसील व जिला जालोर।

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :— श्री गोरधनराम विश्नोई अधिवक्ता वादीया
श्री छैलपुरी गोस्वामी अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

मुकदमा संख्या :— 43/2018 दिनांक : 25/02/20

—: निर्णय :—

दावा बाबत् खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उक्त वाद का विवरण विश्लेषण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 स्व. हका पुत्र धना एक ही पिता की जायन्दा सन्तान है। वादीया स्व. हका की पडपौत्री है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 स्व. हका के कायम मुकाम वारिसान होने से स्व. हका की सम्पत्ति में बराबर हक रखते है। मौजा कोरी ध्वेचा में स्व. हका पुत्र धना कौम मुसलमान साकिन देह खातेदार के नाम से आराजी गत खसरा नंबर 426 रकबा 39 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 425 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन ढाणी कुल खसरे 2 कुल रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2029 में दर्ज हुई थी। पुरानी जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 में हका के फौत हो जाने से जरिए नामान्तरकरण संख्या 335 के अनुसार हका के बजाय साकर, इनायत, हुसैन पि. हका का नाम दर्ज किया गया। साकर के जीवनकाल में उसका पुत्र मदैखां फौत हो चुका था। वादीया मदैखां की जायंदा पुत्री है, जिसको जन्म से साकर को सम्पति में सारे हक व अधिकार प्राप्त हो चुके थे।

कालान्तर में इस क्षेत्र में रिसेटलमेन्ट हुआ। रिसेटलमेन्ट के दौरान उक्त गत खसरान नबरान के क्रमशः नए खसरा नंबर 616 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नंबर 617 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नंबर 618 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नंबर 619 रकबा 6.61 हैक्टेयर किस्म

Scanned by CamScanner

बारानी सोयम कुल खसरे 4 कुल रकबा 6.69 हैक्टेयर मौजा कोरी ध्वेचा सृजित कर उक्त खातेदारी पुनः वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के पूर्वज हका वल्द धना कौम मुसलमान साकिन देह खातेदार के रूप में द्वितीय मिसल बन्दोबस्त में दर्ज हुई तथा जमावन्दी संवत् 2049 से 2052 में उक्त आराजी नामांतरकरण संख्या 20 दिनांक 02.04.1993 की स्वीकृति पर हका की बजाय साकर, इनायत, हुसैन पि. हका कौम मुसलमान के नाम का रेकर्ड में अमल बरामद किया गया। नकल दितीय मिसल बन्दोबस्त सन् 1989 से 2009, जमावन्दी संवत् 2049 से 2052, मिलान क्षेत्रफल, नया नक्शा मौजा कोरी ध्वेचा की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पेश है तथा खातेदार इनायत के फौत हो जाने से नामांतरणकरण संख्या 349 के द्वारा इनायत के बजाय प्रतिवादी संख्या 5 से 13 के नाम उक्त खातेदारी दर्ज की गई। उक्त वाद में साकरखां पुत्र हका के 1/3 हिस्से की आराजी विवादित होने से वाद में विवादित आराजी से सम्बोधित किया गया है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से 13 के हक हिस्से को चुनौती नहीं दी गई है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 4 से 13 वादग्रस्त आराजी के सह खातेदार होने से औपचारिक पक्षकार बनाए गए है। वादीया की दादी नूरीबानो 40 वर्ष पूर्व फौत हो चुकी थी, जिसके कायम मुकाम वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादीया एवं प्रतिवादी 1 से 13 तक की पैतृक पुश्तैनी भूमि है तथा जन्म से ही वादीया के पिता मदैखा एवं उसके बाद उसकी एकमात्र जान्यदा पुत्री वादीया का उक्त आराजी पर हक व अधिकार बन गया था। स्व. साकरखां पुत्र हका के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के साथ–साथ वादीया का नाम नियमानुसार दर्ज होना चाहिए था, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने पटवारी हल्का मिलावट कर केवल अपने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम से उक्त स्व. साकरखां पुत्र हका के 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण आराजी जरिए नामांतरणकरण 738 दिनांक 05.10.2017 के अनुसार दर्ज करवा दी गई। वादीया को उसके हक व अधिकार से वंचित कर दिया गया। जबकि नियमानुसार वादीया का ग्राम प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ बराबर–बराबर खातेदारी में

Scanned by CamScanner

दर्ज होना चाहिए था। नकल नामांतरणकरण 738 मौजा कोरी ध्वैचा को प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पेश है। वर्तमान जमावन्दी में प्रतिवादी संख्या 4 का नाम नूरीबानो गलत अंकित किया है जबकि सही युह नाम नैमो बानो साकर पढा जावे।

उपरोक्त वादग्रस्त आराजी स्व. साकरखां पुत्र हका के 1/3 हिस्सा = 2.23 हैक्टेयर की आराजी वादीया की पैतृक पुश्तैनी भूमि है तथा उक्त आराजी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का बहिस्सा बराबर बराबर है। साथ ही वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का जन्म से ही बराबर–बराबर हक अधिकार उत्पन्न हो चुका था। उक्त आराजी में वादीया का 1/4 हिस्सा = 0.5575 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा = 0.5575 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा = 0.5575 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा = 0.5575 हैक्टेयर हिस्सा है अर्थात् सम्पूर्ण आराजी में वादीया का 1/12 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा बनता है तथा उक्त हिस्से अनुसार वादीया का वादग्रस्त में मौके पर कब्जा काश्त स्व. साकरखां पुत्र हका के फौत होने के बाद से आज दिन तक चला आ रहा है, जिससे वादीया वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्सा = 2.23 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.5575 हैक्टेयर अर्थात् संपूर्ण आराजी में से 1/12 हिस्से की खातेदारी पाने की अधिकारी है, जिस हेतु वाद बाबत् खातेदारी हक घोषणा का पेश किया जा रहा है।

वादीया को उक्त वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से पर ऋण लेने को आवश्यकता होने से दिनांक 18.07.2018 को पटवारी हल्का के पास जमाबंदी लेने गई तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त आराजी में आपका नाम नहीं है। तब वादीया को अपना नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई, जिसके बाद वादीया प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पास गई व अपने हिस्से को आराजी अपने नाम से करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि को बेचान, हस्तांतरण कर कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी, जिस हेतु दावा बाबत् खातेदारी घोषणा का पेश

Scanned by CamScanner

किया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीया को उसके हिस्से को आराजी में जबरदस्ती कब्जा काश्त से बेदखल करने तथा गलत व अवैध व म्यूटेशन की प्रविष्टी की आड में वादग्रस्त भूमि का बेचान व हस्तांतरण करने की धमकी दी, जिस हेतु वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जरिये समन तलब किया गया। इस पर प्रतिवादी सं0 1 से 3 ने इकबालीया जबाब दावा पेश कर जबाब में वादीया के वाद को खातेदारी हक घोषित किया जाना स्वीकार किया एवं जबाब दावे के साथ राजिनामा भी प्रस्तुत कर राजिनामे अनुसार वाद को डिक्री होने पर सहमति पेश की गयी है। वकिल वादी ने प्रतिवादी सं.4 से 13 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है जिस पर उन पक्षकारो को तर्क करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया जा चुका है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रकार्ड एवं जबाब दावा मय राजीनामा का अवलोकन किया एवं उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी वादीया हमणी पुत्री मदैखां की एक मात्र जायंदा पुत्री है एवं मदैखां के उक्त पुत्री के अलावा कोई वारीसान जिवीत नही होने से मदैखां की सम्पूर्ण पुस्तैनी आराजी में हमणी का खातेदारी हक बाई बर्थ बनता है। अतः मौजा कोरी ध्वेचा में स्थित नए खसरा नंबर 616 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नंबर 617 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नंबर 618 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नंबर 619 रकबा 6.61 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल खसरे 4 कुल रकबा 6.69 हैक्टेयर में से वादीया का 1/12 हिस्सा 0.5575 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा = 0.5575 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा = 0.5575 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा = 0.5575 हैक्टेयर या सम्पूर्ण आराजी 6.69 हैक्टेयर में से (पूर्व खातेदार साकर पुत्र हका) के 1/3 हिस्सा = 2.23 हैक्टेयर में से वादीया का 1/4 हिस्सा = 0.5575 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा = 0.5575 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा = 0.5575

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा = 0.5575 हैक्टेयर की खातेदारी की घोषित की जाती है, शेष सह खातेदारान का हिस्सा विवादित नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में यथावत रखा जावें एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जारी की जावें कि घोषणा खातेदारी अनुसार वादीया की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कब्जे–काश्त में दखलंदाजी नहीं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें। यह कि खातेदारी घोषणा की डिक्री अनुसार वादीया के नाम से खातेदारी दर्ज करने हेतु तहसीलदार बागोड़ा को तहरीर जारी हो एवं राजीनामा अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफतर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर
बागोडा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mridula Shekhawat
Date: 2020.06.08 14:13:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: